(SHRI CHIMANBHAI MEHTA) : (a) and (b) A Section Officer of Accountant General (Audit), Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram who came on deputation w.e.f. 17-12-1984 as Accounts-cum-Inspecting Officer to the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Silchar Regional Office was absenting himself from duty since 20-8-1985. A communication was sent to the officer at his residence shortly after he started absenting himself from duty, asking him to report for duty. Subsequently, the officer's wife reported to the local police authorities that her husband was absconding and his where-abouts were not traceable. The Kendriya Vidyalaya Sangathan being a borrowing organisation, the services of the officer were placed at the disposal of his parent organisation w.e.f. 18-12-1986.

Absorption of ex-trade apprentices of Gun and Shell Factory, Cossipore

2184. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly three hundred ex-trade apprentices of the GUN and SHELL FACTORY, Cossipore have not so far been absorbed in the factory despite their having completed the required training ;

(b) if so, the reasons thereof :

(c) whether there is a ban on recruitment, if so, when was the ban imposed and the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to lift the ban on their recruitment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) They could not be provided employment since there has been a ban on recruitment since 1984 which was imposed by Government to effect economy in expenditure. A zero based review of requirement of industrial employees, of Ordnance Factories, including Gun & Shell Factory is in progress. The ban will not apply to the additional requirement of manpower that may be revealed on completion of this review.

राज्यों द्वारा केन्द्रीय निवेशों का विविधकरण

2185. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मंजूर किये गये धन का राज्य सरकारें विविधकरण करके अन्य मदों पर व्यय करती हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऐसी प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) से (घ) योजना को अंतिम रूप देते समय सहमत मूल परिव्ययों में कभी-कभी उपयुक्त प्राधिकरणों से समय पर स्वीकृति न मिलने, भूमि अधिग्रहण में हुई देरी अप्रत्याशित घटनाओं आदि जैसे अनेक कारणों से परिवर्तन हो जाते हैं। योजना वर्ष के दौरान, राज्य सरकारें, योजना आयोग की निर्धारित स्कीमों के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके कारणों

के बारे में सूचित करती है। इन पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। योजना आयोग संशोधित अनुमोदन पत्र भी जारी करता है।

दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन

2183. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रमों को बदलने का निर्णय पिछले वर्ष लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें तैयार करने का काम किसी सरकारी संस्थान द्वारा ही किया जाना था ;

(घ) यदि हां, तो उस संस्थान का नाम क्या है जिसे यह प्रारम्भिक कार्य सौंपा गया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि 1990 के शैक्षिक वर्ष के आरम्भ हो जाने के बावजूद भी छात्रों को ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं ; और

(च) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इनके लिये जिम्मेदार हैं तथा इस लापरवाही के लिये किन-किन अधिकारियों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (च) स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को पुन: अनुस्थापित करने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान व प्रशिक्षण परिषद् ने वर्ष 1986 से पर्याप्त मात्रा में कई समन्वित कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य पहली से आठवीं कक्षाओं के लिए एक समान महत्वपूर्ण घटकों से युक्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे का विकास, पाठ्य पुस्तकों सहित अनुदेशात्मक पैकेजों की पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण की मार्गदर्शी रूपरेखाओं का विकास है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रमो के निर्धारण का आधार होता है। दिल्ली के अधिकांश माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इसलिए दिल्ली के अधिकांश माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरों भी दिल्ली स्कूलों के छात्रों के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्य-विवरणों व पाठ्यपुस्तकों के आधार पर कुछ पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करते हैं।

2. दिल्ली स्कूलों की कक्षा I से VIII के सम्बन्ध में, पाठ्यक्रमों में निम्न-प्रकार से चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन किया गया :

कक्षा I, III व VI के लिए 1-4-88
कक्षा II, IV व VII के लिए 1-4-89
कक्षा V व VIII के लिए 1-4-90

3. माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तरों के छात्रों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रा.शै.अनु.प्र. परिषद् के पाठ्यक्रमों के आधार पर एक अध्ययन-योजना तैयार की है। इस योजना को केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 1988-89 के शैक्षिक सत्र से तथा के.मा.शि. बोर्ड से सम्बद्ध अन्य स्कूलों में इसे शैक्षिक सत्र 1989-90 से लागू कर दिया गया था।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित नई पाठ्यपुस्तकों को दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों